राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 97/2018 – पुर्नविलोकन याचिका

1. रामप्रसाद पिता रंगलाल टेलर, बनाम निवासी दर्जी मोहल्ला, आसीन्द
2. नजीर मोहम्मद पिता मोजुदीन शेख जाति मुसलमान निवासी आसीन्द मृतक के बजाय –

2/1–फारूख मोहम्मद पिता स्व. नजीर मोहम्मद शेख मुसलमान, निवासी आसीन्द
2/2 रशीद अहमद पिता स्व. नजीर मोहम्मद शेख मुसलमान, निवासी आसीन्द
2/3 शकील अहमद पिता स्व. नजीर मोहम्मद शेख मुसलमान, निवासी आसीन्द
2/4 अब्दुल मजीद उर्फ चमन पिता स्व. नजीर मोहम्मद शेख मुसलमान, निवासी आसीन्द

3– हकीमुददीन पिता रमजान शेख, मुसलमान, निवासी मस्जिद मोहल्ला, आसीन्द मृतक के बजाय–

3/1– अब्दुल सलाम पुत्र स्व. हकीमुददीन शेख, निवासी मस्जिद मोहल्ला, आसीन्द
3/2– अब्दुल कलाम पुत्र स्व. हकीमुददीन शेख, निवासी मस्जिद मोहल्ला, आसीन्द
3/3– अब्दुल हनीफ पुत्र स्व. हकीमुददीन शेख, निवासी मस्जिद मोहल्ला, आसीन्द के बजाय–
3/3/1–श्रीमती रीना बेगम पत्नी स्व. अब्दुल हनीफ शेख, निवासी मस्जिद मोहल्ला, आसीन्द
3/3/2– सना बानू पुत्री स्व. अब्दुल हनीफ शेख, बबिलायत माता श्रीमती रीना बेगम निवासी मस्जिद मोहल्ला, आसीन्द
3/3/3– अलीशा बानू पुत्री स्व. अब्दुल हनीफ शेख, बबिलायत माता श्रीमती रीना बेगम निवासी मस्जिद मोहल्ला, आसीन्द
3/4– जहिरा बानू पुत्री स्व. हकीमुददीन शेख, पत्नी श्री अब्दुल सलाम शेख निवासी सोलंकी टाकीज के पीछे, भीलवाड़ा
3/5– फिरोजा बानू पुत्री स्व. हकीमुददीन शेख, पत्नी श्री नूर मोहम्मद शेख निवासी फूलियागेट मोहरम के चबुतरे के पास, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3/6– फरीदा बानू पुत्री स्व. हकीमुददीन

1. नूरजहाँ पत्नी स्व. रमजान नीलगर जाति मुसलमान, उम्र वयस्क निवासी ग्राम खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा–राज. (मृतक के बजाय)

1/1–कमरूदीन पुत्र स्व. रमजान नीलगर निवासी ग्राम खातोला तहसील आसीन्द
1/2–चांद मोहम्मद पुत्र रमजान नीलगर निवासी ग्राम खातोला तहसील आसीन्द
1/3–जमालुदीन पुत्र स्व. श्री रमजान नीलगर निवासी ग्राम खातोला तहसील आसीन्द
1/4–कमालुदीन पुत्र स्व. रमजान नीलगर निवासी ग्राम खातोला तहसील आसीन्द
1/5–मुमताज अली पुत्र स्व. रमजान नीलगर निवासी ग्राम खातोला तहसील आसीन्द
1/6–शरीफ मोहम्मद पुत्र स्व. रमजान नीलगर निवासी ग्राम खातोला तहसील आसीन्द
1/7–हबीब मोहम्मद पुत्र स्व. श्री रमजान नीलगर जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खातोला तहसील आसीन्द

2. नजीर मोहम्मद पुत्र अब्दुल लतीफ शेख निवासी आसीन्द के बजाय –

2/1 श्रीमती अजरा पत्नी मुनीर गनी शेख, एडवोकेट मुसलमान निवासी आसीन्द

3– अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका आसीन्द
4– विकास अधिकारी पं. स. आसीन्द जिला भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

शेख पत्नी निवासी कलालो की कुडी के पास, ढोढर जिला रतलाम मध्य प्रदेश
4– अब्दुल गफुर पिता मोजदीन जी शेख, निवासी मस्जिद मोहल्ला, आसीन्द
मृतक के बजाय–
4/1–अब्दुल फजल शेख पुत्र स्व. श्री अब्दुल गफुर शेख, निवासी मस्जिद मोहल्ला, आसीन्द
4/2–अब्दुल गफ्फार शेख पुत्र स्व. श्री अब्दुल गफुर शेख, निवासी मस्जिद मोहल्ला, आसीन्द
5– शफी मोहम्मद पिता अलाबेली शेख, निवासी मस्जिद मोहल्ला, आसीन्द
6– लक्ष्मी लाल पिता बिरदीचन्द गोखरू, निवासी वार्ड नं. 5, पुराना बाजार, आसीन्द
7– मोइनुदीन पिता इनायत मोहम्मद जी शेख, निवासी मस्जिद मोहल्ला, आसीन्द
8– शेर मोहम्मद पुत्र श्री इदरीस मोहम्मद शेख मुसलमान निवासी वार्ड नं. 05, शकुर कॉलोनी, आसीन्द
9– अब्दुल गफ्फार पुत्र श्री अब्दुल रहमान शेख निवासी आसीन्द हाल मल्ला तलाई उदयपुर
10– युसुफ दीन डायर पुत्र श्री अलाउदीन डायर नीलगर, निवासी दरगाह मोहल्ला, आसीन्द
11– रमेश चन्द्र जायसवाल पुत्र श्री भगवतीलाल जी जायसवाल, निवासी हनुमान मंदिर के पास, तेली मोहल्ला, आसीन्द जिला भीलवाड़ा

–पुर्नविलोकनकर्ता

– प्रत्यर्थी

पुर्नविलोकन याचिका अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01, 02 एवं 03 सि. प्र. सं. विरूद्ध प्रकरण संख्या 159/2010 बअनवान रामप्रसाद व अन्य बनाम नूरजहाँ व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 29–07–2011 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे विचाराधीन एस. बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 6806/ 2014 एवं इससे सम्बद्ध अन्य एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 8519/2014, 8523/2014 एवं 13777/2016 मे पारित आदेश एवं दिशा निर्देश की अनुपालनार्थ

उपस्थित –

1. श्री मो0 हुसैन कुरेशी, रूबीना मोहम्मद अधिवक्ता – पुर्नविलोकनकर्ता की ओर से
2. श्री राजेन्द्र कचौलिया, छोटूलाल माली अधिवक्ता – प्रत्यर्थी संख्या 1/3 1/4 1/5 की ओर से
3. श्री के.जी. शर्मा अधिवक्ता – प्रत्यर्थी संख्या 2/1 की ओर से
4. श्री दूदाराम कुमावत अधिवक्ता – प्रत्यर्थी संख्या 03 की ओर से

9.10
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांक 09.10.2025

पुर्नविलोकनकर्ता की ओर से यह पुर्नविलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व प्रत्यर्थीगणों के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पुर्नविलोकनकर्ता की ओर से एक पुर्नविलोकन याचिका इस न्यायालय में दिनांक 23–11–2010 को इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम पंचायत आसीन्द के द्वारा पत्रावली सं. 50/76–77 के जरिये दिनांक 17–10–1977 को एक भूखण्ड 150 बाई 100 फिट प्रत्यार्थी संख्या 01/01 लगायत 01/07 को 02 पैसा प्रतिफीट की दर से नजराना वसूल कर पट्टे जारी कर दिये गये। ग्राम पंचायत आसीन्द द्वारा इस अवधि में 81 अन्य व्यक्तियों को भी भूखण्ड आवंटित किये गये थे किन्तु इसी दौरान ग्राम पंचायत का अवसान होकर नगर पालिका अस्तित्व में आ जाने पर समस्त भूखण्ड धारियों को सार्वजनिक सूचना के जरिये आगाह कर 81 भूखण्ड धारकों को द्वारा अपने पट्टे नगर पालिका में प्रस्तुत किये जाने पर कब्जे एंव पट्टे सही होने पर बढी दर से राशि वसूली कर रसीदें जारी कर दी तथा समस्त भूखण्डो का मास्टर प्लान तैयार कर उन पर भूखण्ड क्रमांक अंकित कर दिये एवं लॉटरी द्वारा समस्त भूखण्डधारकों को विधिवत भूखण्ड आवंटन कर कब्जा दे दिया। प्रत्यार्थीगण सं. 01/01 लगायत 01/07 के पट्टे वैध नहीं होकर उनमे कांट फांस होने व पूर्णतया फर्जी व जाली होने के कारण उनका इस प्लान में उनके भूखण्डो का अंकन नहीं हुआ। दिनांक 07–03–1996 को प्रत्यार्थी संख्या 02 को अधिशाषी अभियन्ता ने प्रत्यार्थी संख्या 01/01 लगायत 01/07 के द्वारा प्रस्तुत भूखण्डो के पट्टों को गलत व फर्जी मानते हुए पुलिस थाने मे प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसमे बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाकर प्रकरण संख्या 293/1996 रे. फो. मे कमरूदीन को दंडित किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त द्वारा अपीलीय न्यायालय में अपील सं. 02/2006 प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 01–06–2009 को अभियुक्त प्रत्यार्थी संख्या 01/01 को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया किन्तु विवादित पट्टो को फर्जी माना गया। इस आधार पर प्रत्यार्थी संख्या 01/01 लगायत 01/07 के नाम पर जो पट्टे बनाये गये वे फर्जी व जालसाजी पूर्वक बनाये गये होने से शून्य प्रभावी होकर निरस्त एवं अपास्त किये जाने योग्य है। इस न्यायालय द्वारा उक्त पुर्नविलोकन याचिका एवं अन्य इसी आशय की पुर्नविलोकन याचिका संख्या 158/2010 निर्णय दिनांक 29–07–2011 के विरूद्ध प्रत्यार्थीगण ने 2 अलग–अलग एस.बी. सिविल रिट पीटीशन माननीय – राजस्थान उच्च

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

9.10

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जिनके कमशः एस.बी. सिविल रिट पीटीशन सं. 8519/2014 एवं 8523/2014 है। प्रत्यार्थीगण की ओर से एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा हेतु सिविल जज साहब (क.ख.) आसीन्द के न्यायालय में बाबत स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विरूद्ध पुर्नविलोकनकर्ता प्रस्तुत कर दिया जिसका प्रकरण संख्या 09/2009 ई.दी. होकर साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका प्रकरण संख्या 10/2009 होकर दिनांक 01–04–2010 को पुर्नविलोकनकर्ता के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश पारित कर दिये गये। पुर्नविलोकनकर्ता ने उक्त स्थगन आदेश से व्यथित होकर अपील अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, गुलाबपुरा के यहाँ प्रस्तुत कर दी जिस पर प्रकरण संख्या 07/2010 में अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि दिनांक 25–07–2014 को कर दी गई। पुर्नविलोकनकर्ता ने उक्त दोनो ही आदेशो से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस. बी. सिविल रिट पीटीशन की जो कम सं. 6080/2014 है। माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब आसीन्द मे लम्बित प्रकरण संख्या 09/2009 ई.दी. में प्रत्यार्थीगण/वादीगण ने उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की जिसका क.स. 13777/2016 है। इस प्रकार उक्त प्रकरण के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे 4 चार याचिकाएं लम्बित हो गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने दिनांक 13–07–2018 को उक्त चारों ही याचिकाओं का निस्तारण दिनांक 13–07–2018 को एक साथ एक ही आदेशिका से करते हुए समस्त पक्षकारान को निर्देश प्रदान किये कि सम्पति के बाबत् अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा अन्तिम आदेश पारित किये जाने तक यथास्थिति बनाये रखेगें एवं अति. जिला कलेक्टर भीलवाडा 3 माह की अवधि मे विरोधाभास को सुनिश्चित करेंगे।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुर्नविलोकनकर्ता इस न्यायालय के यहाँ पर निम्नांकित आधार पर यह पुर्नविलोकन याचिका प्रस्तुत की है–

नजीर मोहम्मद एवं रमजान मोहम्मद ने एक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत आसीन्द को दिनांक 31–08–1976 को भूखण्ड दिलाने बाबत पेश किया जिस पर मिसल संख्या 50/76–77 कायम की जाकर नदी के किनारे दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रत्यार्थीगण ने भूखण्ड का नजराना राशि 40/– रूपये मात्र जमा करा दी किन्तु प्रत्यार्थीगण को जो भूखण्ड आवंटित किया गया 150 फीट बाई 100 फीट का था जिस का क्षेत्रफल 15000 वर्गफिट होता है। इसका 02 पैसे प्रति फीट से हिसाब लगाये जाने पर 300/– रूपये होता है परन्तु जमा कराया गया नजराना मात्र 40/– रूपये होता है तथा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

सरवर्क मे भी मात्र 40/– रूपये जमा होने का इन्द्राज है। यदि प्रत्यार्थीगण को जारी भूखण्ड एवं पट्टे सही थे तो उनके द्वारा कूटरचना नही की गई या उनके पट्टो में कोई कांट फांस नही थी तो ग्राम पंचायत का अवसान होकर नगर पालिका अस्तित्व में आने पर उसके द्वारा जारी आम सूचना पर अन्य भूखण्डधारियो के समान प्रत्यार्थीगण ने अपने दस्तावेजात क्यों कर पेश नही किये। जिन पट्टा धारियों के नगर पालिका मे अपने दस्तावेजात व पट्टे प्रस्तुत करने के पश्चात वैध पाये गये उनकी संख्या 81 थी। वैध पट्टाधारियो का मास्टर प्लान बनाकर उन्हे प्रत्यार्थी संख्या 02 के द्वारा विधिवत पट्टे व कब्जे सौपे गये और निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमे पुर्नविलोकनकर्ता शामिल है तथा उसी अनुसार वर्तमान में विधिवत पुर्नविलोकनकर्ता अपने अपने भूखण्डो पर काबिज चले आ रहे है। प्रत्यर्थी संख्या 03 ने अपने पत्र दिनांक 27–05–2014 एवं 21–10–14 के द्वारा पूर्व मे पुर्नविलोकन याचिका सं. 158/10 एंव 159/10 मे इस न्यायालय को प्रस्तुत पत्र में स्पष्ट कहा है कि प्रतिवादियो को आवंटन हेतु अपात्र पाया गया है और उन्हे भूखण्ड आवंटन नही किये गये है एंव श्रीमती नूरजहॉ को अपात्र मानते है। अतः प्रार्थना है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार पुर्नविलोकनकर्ताओ/पुर्नविलोकनकर्तागणों की याचिका स्वीकार कर ग्राम पंचायत आसीन्द द्वारा जारी किये गये भूखण्ड एंव कूटरचित पट्टो को निरस्त एंव अपास्त कराये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

प्रस्तुत पुर्नविलोकन याचिका न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 03 नगरपालिका आसीन्द की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। विपक्षी संख्या 01 नूरजहां की ओर से लिखित बहस पेश की गयी।

पुर्नविलोकनकर्ता अधिवक्ता ने अपनी बहस में पुर्नविलोकन याचिका में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि नजीर मोहम्मद एवं रमजान मोहम्मद ने एक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत आसीन्द को दिनांक 31–08–1976 को भूखण्ड दिलाने बाबत पेश किया जिस पर मिसल संख्या 50/76–77 कायम की जाकर नदी के किनारे दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रत्यार्थीगण ने भूखण्ड का नजराना राशि 40/– रूपये मात्र जमा करा दी किन्तु प्रत्यार्थीगण को जो भूखण्ड आवंटित किया गया 150 फीट बाई 100 फीट का था जिस का क्षेत्रफल 15000 वर्गफिट होता है। इसका 02 पैसे प्रति फीट से हिसाब लगाये जाने पर 300/– रूपये होता है परन्तु जमा कराया गया नजराना मात्र 40/– रूपये होता है तथा सरवर्क मे भी मात्र 40/– रूपये जमा होने का इन्द्राज है। जबकि आज्ञाओ की सूची में दिनांक 05–10–1976 को नाप चौप में कांट पीट कर 125

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

फीट बाई 100 फीट का इन्द्राज किया गया है परन्तु 02 पैसा प्रति फिट जमा कराने का आदेश हुआ है इस प्रकार आज्ञाओ और पट्टे मे कांट फांस की जाकर धोखाधडी पूर्वक कूटरचित दस्तावेज बनाये गये है। यदि प्रत्यार्थीगण को जारी भूखण्ड एवं पट्टे सही थे तो उनके द्वारा कूटरचना नही की गई या उनके पट्टो में कोई कांट फांस नही थी तो ग्राम पंचायत का अवसान होकर नगर पालिका अस्तित्व में आने पर उसके द्वारा जारी आम सूचना पर अन्य भूखण्डधारियो के समान प्रत्यार्थीगण ने अपने दस्तावेजात क्यों कर पेश नही किये। जिन पट्टा धारियों के नगर पालिका मे अपने दस्तावेजात व पट्टे प्रस्तुत करने के पश्चात वैध पाये गये उनकी संख्या 81 थी। वैध पट्टाधारियो का मास्टर प्लान बनाकर उन्हे प्रत्यार्थी संख्या 02 के द्वारा विधिवत पट्टे व कब्जे सौपे गये और निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमे पुर्नविलोकनकर्ता शामिल है तथा उसी अनुसार वर्तमान में विधिवत पुर्नविलोकनकर्ता अपने अपने भूखण्डो पर काबिज चले आ रहे है। प्रत्यर्थी संख्या 03 ने अपने पत्र दिनांक 27–05–2014 एवं 21–10–14 के द्वारा पूर्व मे पुर्नविलोकन याचिका सं. 158/10 एंव 159/10 मे इस न्यायालय को प्रस्तुत पत्र में स्पष्ट कहा है कि प्रतिवादियो को आवंटन हेतु अपात्र पाया गया है और उन्हे भूखण्ड आवंटन नही किये गये है एंव श्रीमती नूरजहॉ को अपात्र मानते है। अतः प्रार्थना है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार पुर्नविलोकनकर्ताओ की याचिका स्वीकार कर ग्राम पंचायत आसीन्द द्वारा जारी किये गये भूखण्ड एंव कूटरचित पट्टो को निरस्त एंव अपास्त कराये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

विपक्षीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पत्रावली कायम की जाकर भूमि आवंटन की गयी। रमजान मोहम्मद को जारी पटटों में किसी भी प्रकार की कांट छांट नहीं हैं। दोनों पत्रावलियों में ग्राम पंचायत द्वारा तैयार मौका नक्शा रिपोर्ट तैयार की गयी, जिस आधार पर पटटा जारी करने की कार्यवाही की गयी। पटटे बाबत् जो भी राशि जमा हुयी हैं वह पंचायत द्वारा जारी नोटिस अनुसार जमा हुयी। उक्त पटटे रियायतन के आधार पर ही जारी किये गये हैं। नगर पालिका को सन् 1977 में जारी पटटाशुदा भूमि को किसी अन्य को आवंटन करने का अधिकार नहीं हैं। मामला बिना साक्ष्य गवाही के निर्णय नहीं किया जा सकता हैं। पंचायत में विधिवत आवेदन प्रस्तुत होने पर ही पंचायत द्वारा कार्यवाही की जाकर पटटा आवंटित किया गया हैं। ऐसी परिस्थिति में जारीशुदा पटटे एवं लम्बे कब्जे व उपयोग के बाद किसी को भी ऐतराज का अधिकार नहीं हैं। पुर्नविलोकनकर्ता द्वारा उक्त पुर्नविलोकन याचिका 35 वर्ष पश्चात बिना किसी ठोस कारणों के प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ठहरती हैं। पुर्नविलोकन याचिका बेबुनियाद होने से खारिज किये जाने योग्य ठहरती हैं।

विपक्षी संख्या 03 नगरपालिका आसीन्द के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत आसीन्द द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1/1 से लगायत 1/7 को मिसल संख्या 50/76–77 एवं मिसल संख्या 52/76–77 में वर्णित पटटे जारी नही किये गये तथा मिसल संख्या 50/76–77 व मिसल संख्या 52/76–77 में जारी पटटे नगरपालिका अस्तित्व में आने दिनांक 27.11.1976 के बाद जारी किये गये जो अधिकार क्षैत्र से परे होने से फर्जी व अवैध होकर शून्य प्रभावी हैं। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पुर्नविलोकन याचिका प्रकरण संख्या 158/2010 में पारित निर्णय अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 03 नगरपालिका द्वारा प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी कर सुनवायी का अवसर प्रदान कर प्रकरण में जांचकर प्रत्यर्थी संख्या 1/1 लगायत 1/7 को भूखण्ड आवंटन हेतु अपात्र माना गया हैं एवं प्रत्यर्थीगण को भूखण्ड आंवटन हेतु अपात्र पाये जाने से नगर पालिका द्वारा पटटा जारी नही किया गया। निवेदन हैं कि पुनर्विलोकन याचिका स्वीकार फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गुलाबपुरा, भीलवाडा के अपील अहकाम संख्या 07/2010 आदेश दिनांक 25.07.2014 के पृष्ठ संख्या 6 पर बिन्दु संख्या 13 में माननीय न्यायाधीश द्वारा यह विवेचना की गयी हैं कि, " अपीलार्थीगण का यह आधार है कि यदि वास्तव में प्रत्यर्थीगणों के पास तत्कालीन समय में विवादित सम्पति के पटटे होते, कब्जा होता, तब वे भी इन 81 व्यक्तियों की भांति अपनी आपत्ति नगरपालिका आसीन्द के समक्ष दर्ज करवाते एवं उनका नाम भी इस सूची में अवश्य ही जोडा जाता। इस न्यायालय की विनम्र राय में केवल प्रत्यर्थीगण की ओर से इस आशय की चाराजोही किसी भी कारण से नही किये जाने मात्र से एकमात्र यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता हैं कि प्रत्यर्थीगण का विवादित सम्पत्ति के भूखण्डों पर कभी कोई वैध कब्जा, स्वामित्व ही नही रहा हो। अतः इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से लिया गया आधार माने जाने योग्य नही पाया जाता हैं।" माननीय न्यायालय के उक्त विवेचन में अभिव्यक्त कथनों से यह न्यायालय भी सहमत हैं कि प्रत्यर्थीगण की ओर से नगर पालिका आसीन्द में स्वयं के पटटे की प्रति किसी भी कारण से पेश नही किये जाने मात्र से एकमात्र यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता हैं कि प्रत्यर्थीगण का विवादित सम्पत्ति के भूखण्डों पर कभी कोई वैध कब्जा स्वामित्व ही नही रहा हो।

9.10

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्रावली परीक्षण से यह जाहिर आया कि प्रश्नगत पटटे के संबंध में इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 159/2010 निर्णय दिनांक 29.07.2011 को निर्णय हो चुका हैं एवं प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। अब पुर्नविलोकनकर्ता द्वारा उसी पटटे के संबंध में यह निगरानी दोबारा इसी न्यायालय में प्रस्तुत की हैं जो रेस ज्यूडिकेटा सिद्धान्तों के अंतर्गत चलने योग्य नही ठहरती हैं। फिर भी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्देशों की पालना में उक्त प्रकरण पुनः सुनवायी हेतु इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया हैं। सुनवायी के दौरान एवं पुर्नविलोकनकर्ता की इस याचिका में पुर्नविलोकनकर्ता द्वारा प्रत्यर्थीणों को प्रश्नगत पटटे को जारी किये जाने में ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायतीराज अधिनियमों के तहत किन–किन नियमों की उल्लघंना की गयी ? इसका कोई उल्लेख नही किया हैं एवं न ही इस बाबत् कोई प्रमाणिक दस्तावेजात प्रस्तुत किया हैं।

पुर्नविलोकनकर्ता ने विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के माध्यम से यह वक्तव्य प्रस्तुत किया है कि प्रश्नगत पटटा भूखण्ड पर पुर्नविलोकनकर्ता का कब्जा रहा हैं अथवा उनके नाम से पूर्व में पटटा जारी हुआ हैं। किन्तु दौराने बहस एवं पत्रावली पर पुर्नविलोकनकर्ता ने ऐसा कोई प्रमाणिक दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये हैं जिससे जाहिर हो सके कि प्रश्नगत पटटे पर पुर्नविलोकनकर्ता का कब्जा हो अथवा उनके नाम से पूर्व में प्रश्नगत पटटा भूखण्ड का ही कोई पटटा जारीशुदा हो।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर हुआ कि प्रश्नगत पटटे का जरिये विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 16.03.2010 हो चुका हैं। इस पंजीयन को निरस्त कराने बाबत् पुर्नविलोकनकर्ताओं द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चाराजोही नही की गयी एवं न ही इसके खण्डन में कोई तथ्य अथवा दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये।

पुर्नविलोकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकनयाचिका में स्वयं पुर्नविलोकनकर्ता को प्रत्यर्थीगणों के नाम वर्ष 1976–77 में जारी पटटों से क्या उजर ऐतराज अथवा आपत्ति हैं, इसका कोई उल्लेख नही किया गया एवं न ही इस बाबत् प्रमाणिक दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं।

इसी प्रकार पुर्नविलोकनकर्ता को प्रत्यर्थीगणों के नाम जारी प्रश्नगत पटटों को खारिज कराने बाबत् क्या लोकस स्टैण्डाई ठहरती हैं इसका कोई उल्लेख पुर्नविलोकन याचिका में किया गया हैं एवं न ही इस बाबत् को प्रमाणि क दस्तावेजात प्रस्तुत किया है।

नगर पालिका की ओर से प्रश्नगत पटटा खारिज किये जाने बाबत् ऐसा कोई ठोस एवं प्रमाणिक दस्तावेजात पेश नही किये गये, जिससे जाहिर हो सके कि प्रश्नगत पटटा विधि विरूद्व जारी किये गये। इस हेतु माननीय न्यायालय अपर जिला

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायाधीश गुलाबपुरा, भीलवाडा के अपील अहकाम संख्या 07/2010 आदेश दिनांक 25.07.2014 के पृष्ठ संख्या 6 पर बिन्दु संख्या 13 में माननीय न्यायाधीश द्वारा भी विवेचना की गयी हैं, जिससे यह न्यायालय भी प्रश्नगत पटटे के संबंध में सहमत हैं।

पत्रावली अवलोकन से जाहिर आया कि पुर्नविलोकनकर्ता ने प्रश्नगत पटटा खारिज कराने बाबत् निगरानी 35 वर्ष पश्चात् पेश की है, इतने लम्बी अवधि के बाद निगरानी पेश करने हेतु पुर्नविलोकनकर्ता ने कोई ठोस एवं प्रमाणित कारण अपनी पुर्नविलोकन याचिका अथवा निगरानी में व्यक्त नही किये हैं एवं न ही इस बाबत् कोई प्रमाणिक दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं। जबकि पुर्नविलोकनकर्ता अथवा निगराकार को ग्राम पंचायत के ऑर्डर के विरूद्व 30 दिवस की अवधि में सक्षम न्यायालय में अपील की जाना विधि सम्मत ठहरता था।

उपरोक्त विवेचन अनुसार पुर्नविलोकनकर्ता द्वारा प्रश्नगत पटटे की वैधता अथवा अवैधता के संबंध में एवं प्रश्नगत पटटे को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 व 1996 के नियमों के तहत विधि विरूद्व ठहराने बाबत् तथा 35 वर्षों पश्चात् बिना किसी ठोस कारणों के निगरानी पेश करने एवं उक्त प्रश्नगत पटटे को निरस्त कराने में स्वयं की लोकस स्टैण्डाई को सिद्व कराने बाबत् कोई पुष्ट साक्ष्य/प्रमाणित दस्तावेजात प्रस्तुत करने में असफल रहने से पुर्नविलोकनकर्ता की पुर्नविलोकन याचिका सारहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

पुर्नविलोकनकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुर्नविलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत पुर्नविलोकन याचिका सारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत आसीन्द द्वारा रमजान नीलगर के पक्ष में पत्रावली संख्या 50/76–77 से जो पट्टा जारी किया गया, वह यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी आसीन्द एवं नगर पालिका आसीन्द को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.10.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा